

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 3(77)नविवि/3/2010पार्ट-1

जयपुर, दिनांक : **28 DEC 2012**


सचिव,  
जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर/जोधपुर।

- विषय :- प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012 के दौरान कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनीयों के पट्टे जारी करने हेतु आयोजित कैम्प को प्रथम कैम्प मानने की छूट निजी खातेदारों की योजना पर भी लागू करने बाबत।
- सन्दर्भ :- जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक जविप्रा/जोन-14/2012 /डी-6999 दिनांक 20.12.2012 एवं विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 12.12.2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक पत्र क्र. प.3(77)नविवि/3/2010पार्ट-1 दिनांक 12.12.2012 एवं सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक जविप्रा/जोन-14/2012 /डी-6999 दिनांक 20.12.2012 के क्रम में आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण से हुई चर्चा के सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय पत्र में जहां भी "कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनीयों/योजना लिखा गया है," "उसे कृषि भूमि पर सृजित/आवेदित कॉलोनी/योजना पढ़ा जावे।"

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 17.06.99 के पश्चात् अस्तित्व में आयी निजी खातेदारी/विकासकर्ता की आवासीय योजनाओं में अभियान अवधि के दौरान पट्टा जारी करने हेतु आयोजित कैम्प को प्रथम कैम्प माना जावेगा। चूंकि यह प्रथम कैम्प होगा, अतः नियमन राशि/विकास शुल्क, सीवरेज राशि एवं अन्य लेय शुल्कों पर भी ब्याज राशि देय नहीं होगी।

भवदीय,

  
(एन. एल. मीना)

शासन उप सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है :-

1. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. उप शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/अजमेर/भरतपुर/भिवाडी/भीलवाडा/बीकानेर/आबू जिला सिरोही/कोटा/उदयपुर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर।
5. रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव-तृतीय